न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः **74/2022** दायर दिनाँक **11.04.2022**

प्रार्थी

1. महेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र स्व0 बालसिंह जाति राजपूत निवासी छापरी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर।

बनाम्

अप्रार्थीगण

1. प्रेम कंवर पुत्री स्व0 बालसिंह पत्नी पुससिंह
2. हरिकंवर पुत्री स्व0 स्व0 बालसिंह पत्नी समन्दरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी छापरी कलां,हाल निवासी बमोठ तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
3. तहसीलदार मौलासर।

प्रार्थना–पत्र बाबत्
अस्थायी व्यादेश हेतु
अन्तर्गत धारा– 212 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हिरसिंह बलारा वकील प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **10.02.2025**

प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वाकै सरहद छापरी कलां पटवार क्षैत्र छापरी कलां, भू0अभि0नि0 क्षैत्र मौलासर के खेत खसरा सं0 237 रकबा 2.8800 हैक्टे0 में प्रार्थी को बाल्यावस्था में ही उसके जायन्दा पिता मदनसिंह से स्व0 बालसिंह ने गौद पुत्र से सम्बन्धित समस्त रस्में अदा करते हुए गौद ले लिया था तथा स्व0 बालसिंह का स्वर्गवास के पश्चात अकेले प्रार्थी का ही कब्जा काश्त मौजुद रहा है।

प्रार्थी कमाने खाने के लिए सूरत गया हुआ होने का बैजा फायदा उठाते हुए हाल के समय में अप्रार्थीनी सं0 1 व 2 ने प्रार्थी को बैजा नुकसान पहुंचाने की गरज से स्व0 बालसिंह के स्वर्गवास के तकरीबन 27 वर्ष पश्चात विरासत नामांतरण सं0 29 दिनांक 17.01.2022 दर्ज करवा लिया। जबकि स्व0 बालसिंह के नाम दर्ज विरास्त नामांतरण में प्रार्थी का नाम दर्ज होना था। प्रार्थी स्व0 बालसिंह का गौद पुत्र होने से तथा प्रार्थी के राशनकार्ड, जॉबकार्ड, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, पेनकार्ड, जनआधार इत्यादि समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी के गौद ग्रहिता पिता स्व0 बालसिंह का ही नाम बतौर पिता दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में है ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बाबत जबाबदेही तलब किया गया।

अप्रार्थीया सं0 1 व 02 की तरफ से जबाब पेश हुआ कि खसरा सं0 234 रकबा 2.8800 हैक्टे0 सरहद छापरी कलां में फौतगी नामान्तरण विधिवत दर्ज हुआ है जो सही है। प्रार्थी को स्व0 बालसिंह ने अपने जीवनकाल में गोद ले लिया था यह सही नही है। प्रार्थी ने अपने दस्तावेजात में अपने पिता की जगह स्व0 बालसिंह दर्ज करवाया है। जो कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बनाये गये है। प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र झुठे व मिथ्या तथ्यों पर आधारित है जिसे खारिज फरमाया जावें।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः उनके प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही तथा उन्होने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीया सं0 1 व 2 ने अपने जबाब में उल्लेखित कारणों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन व बहस पर मनन करने के उपरान्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:21:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम दृष्टया मामला :– वाकै सरहद छापरी कलां पटवार क्षैत्र छापरी कलां के खेत खसरा सं0 237 रकबा 2.8800 हैक्टे0 पर अप्रार्थीया सं0 1 व 2 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति की प्रार्थी इस्तदुआ कर रहा है। प्रार्थी का कथन है कि साबिक खसरा सं0 237 रकबा 2.8800 हैक्टे0 वर्तमान खोतदारी अप्रार्थीया सं0 1 व 2 के नाम गलत रूप से दर्ज है। जबकि राशनकार्ड, आधार कार्ड एवं समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम स्व0 बालसिंह दर्ज है। अप्रार्थीया सं0 1 व 2 प्रार्थी के अनुपस्थिति में अपना नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया व गलत नामान्तरकरण के आधार पर प्रार्थी को अचल सम्पति का नुकसान पहुंचाना कर उपरोक्त भूमि को बैचाण करने पर उतारू है, जिन्हे अस्थायी निषेधाज्ञा के द्वारा पाबन्द फरमाया जावें।

अप्रार्थीया सं0 1 व 2 का कथन है कि विवादित भूमि इनकी पैतृक, खातेदारी व कब्जा काश्त की है। प्रार्थी का कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थना–पत्र पेश कर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें।

उपलब्ध अभिलेख के अनुसार यह स्वीकार्य तथ्य है कि विवादित भूमि वर्तमान में अप्रार्थीया सं0 1 व 2 के खातेदारी की है। अप्रार्थीया सं0 1 व 2 वर्तमान में अभिलिखित खातेदार है। प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी दत्तक पुत्र है अथवा नही, यह बिन्दु मूलवाद में साक्ष्यों के उपरान्त तय होगा। अप्रार्थीया सं0 1 व 2 रेकार्डेड खातेदार होने के कारण उनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने की विधि इजाजत नही देती है। प्रार्थी खातेदार काश्तकार नही है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है। उक्त बिन्दु अप्रार्थीया सं0 1 व 2 के पक्ष में है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध व अप्रार्थीया सं0 1 व 2 के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

सुविधा का संतुलन :– प्रश्नगत भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार नही है। अप्रार्थीया सं0 1 व 2 रेकॉर्डेड खातेदार है इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है। सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तथा अप्रार्थीया सं0 1 व 2 के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अपूरणीय क्षति :– विवादित भूमि की खातेदारी अप्रार्थीया सं0 1 व 2 के नाम से दर्ज है इसलिए प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति संभावित नही है। अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध व अप्रार्थीया सं0 1 व 2 के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पक्ष में निर्णित होने के कारण प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तदनुसार प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

–:आदेश :–

प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तय होने के कारण वाकै सरहद छापरी कलां पटवार क्षैत्र छापरी कलां के खेत खसरा सं0 237 रकबा 2.8800 हैक्टे0 पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 10.02.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:21:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner